पत्र संख्या -स्था- सेन्ट्रल डिस्पैच सामान्य-2020-21//09 //वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0

(स्थापना-अराजपत्रित)

लखनऊ // दिनांक //21 जुलाई//2020

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,

एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर (उच्च न्यायालय कार्य)प्रयागराज,

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (उच्च न्यायालय कार्य) लखनऊ,

ज्वाइंट कमिश्नर (सर्वोच्च न्यायालय कार्य) गाजियाबाद।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिये पूरे प्रदेश में दिनांक 23-03-2020 से लॉकडाउन लागू किया गया था। लॉकडाउन के कारण विभागीय डाक का आदान-प्रदान जोन / मुख्यालय से नहीं हो सका, जिसके कारण सेवानैवृत्तिक मामलों से सम्बन्धित अभिलेख एवं अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख जोन कार्यालय से मुख्यालय पर प्राप्त नहीं हो सके और न ही मुख्यालय से कोई अभिलेख जोन स्तर को प्रेषित किये जा सके।

अत: विभागीय डाक को आदान-प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में आपको निर्देश दिये जाते हैं कि राजकीय वाहन से एक राजपत्रित अधिकारी के साथ एक कर्मचारी जोनल कार्यालय से डाक प्राप्त कर मुख्यालय के सेन्ट्रल रिसीट डिस्पैच में **अब तक की अवशेष समस्त डाक** प्राप्त करायेंगे, और सेन्ट्रल रिसीट मुख्यालय से डाक प्राप्त कर जोनल कार्यालय में उपलब्ध करायेंगे। उक्त व्यवस्था अपनाये जाने हेतु सम्बन्धित जोनल कार्यालयों के लिये निम्न तिथियाँ निर्धारित की जाती है:-

1- दिनांक 22-07-2020 को नोएडा, गाजियाबाद प्रथम / द्वितीय, सहारनपुर, मेरठ, ।

2- दिनांक 24-07-2020 को आगरा, इटावा, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़।

3- दिनांक 27-07-2020 को झॉसी, प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर।

4- दिनांक 29-07-2020 को वाराणसी प्रथम / द्वितीय, कानपुर प्रथम / द्वितीय।

उक्त तिथियों के पश्चात प्रत्येक जोनल कार्यालय से (लखनऊ छोड़कर) 15 दिन के अन्तराल पर मुख्यालय पर उक्त व्यवस्था के अनुरुप डाक उपलब्ध करायी जायेगी। राजकीय वाहन में सोशल डिस्टैन्सिग का पालन किया जाना अनिवार्य है।

20/07/2020

(सुधा वर्मा)

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तरप्रदेश, लखनऊ।

<u>पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित:-

1- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी प्रथम कमिश्नर कैम्प वाणिज्य कर मुख्यालय।

2- अपर निदेशक वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान,

3- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय।

4- ज्वाइंट कमिश्नर(आई0टी0)वाणिज्य कर मुख्यालय को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

5- सेन्ट्रल रिसीट प्रभारी, वाणिज्य कर मुख्यालय।

(पी0एम0 सिंह)

डिप्टी कमिश्नर (स्था0अराज0)वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।